

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.05.2018 के अनुक्रम में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 42 सन् 1959) की धारा 11 के सपठित राजस्थान प्रन्यास नियम, 1962 के नियम 4 के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए गठित राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित को शेष अवधि के लिए सदस्य नियुक्त करती है :-

हिन्दू :-

1. श्री नाथूलाल गाडरी, पोस्ट लाकोला तहसील-सहाडा, जिला-भीलवाड़ा।
2. श्री जितेन्द्र सिंह कारंगा, पोस्ट कारंगा हाऊस, सीएलसी के पास, विकास कॉलोनी, सीकर।
3. श्री सम्पत सिंह गहलोत, पोस्ट निमाच जिला-पाली।
4. श्री सुरजीत शर्मा, 91 राधिका विहार, आगरा रोड जयपुर।
5. श्री महावीर प्रसाद ओझा पुत्र स्व. श्री हरी प्रसाद ओझा निवासी डीडवाना, जिला-नागौर।
6. श्री सुरेश मगनाराम बंजारा, जगजीवनराम कॉलोनी, भीनमाल, जिला-जालौर।

सिक्ख :-

1. श्री हरजेन्द्रसिंह भल्लर पुत्र श्री विचित्रसिंह पोस्ट सागरवाला तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर।

जैन :-

1. श्री दिलीप जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन, शांति कुंज, आदर्श नगर गली नं. 3 कार्नर, डूंगरपुर।
2. श्री बसंत जैन, 13, मीरा मार्ग, ब्रह्मपुरी थाने के सामने, आमेर रोड, जयपुर।

ईसाई :-

1. श्री गुडविन मसीह, सुभाष नगर, भीलवाड़ा।

श्री शिव दयाल शर्मा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के सभापति होंगे तथा आयुक्त, देवस्थान विभाग सदस्य सचिव होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(कर्ण सिंह गोठवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
4. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित सदस्यों को भिजवाने हेतु।
5. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
6. समस्त सदस्यगण।
7. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
31.10.18